

कार्यालय

**आयकर आयुक्त**

आयकर भवन, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद

फा० सं० 58-59/334/12AA & 80G(5)(vi) /तक/इला/2007-08/4088 दिनांक: 04-02-2008

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA के अंतर्गत पंजीकरण आवेद

आयोम वेलफेयर सोसाइटी, 129, सिविल लाइन्स, फतेहपुर

न्यास विलेख/संगम/ज्ञापन दिनांक 08-02-2006 द्वारा गठित आयोम वेलफेयर सोसाइटी, 129, सिविल लाइन्स, फतेहपुर के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-12AA के अधीन पंजीकरण हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 27-11-2007 को किया गया है। अतएव पंजीकरण दिनांक 01-04-2007 से दिया जाता है।

धारा-12AA के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के लिए इस कार्यालय में दिए गए रजिस्टर के क्रम सं० 334/2007-08 पर आवेदन की प्रविष्टि कर दी गयी है।



*(Handwritten signature)*

(एस० एस० कण्ठन)

आयकर आयुक्त

इलाहाबाद

नोट:- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-12AA के अंतर्गत जारी इस प्रमाण पत्र से किसी न्यास/संस्था को अपनी आय पर कर छूट का दावा प्रस्तुत करने के लिए स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है क्योंकि इस प्रकार की छूट आयकर अधिनियम की धारा-11, 12, 12A और 13 में इस संबंध में निर्दिष्ट अन्य सभी शर्तों को पूरा किए जाने पर ही निर्भर है।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. आयोम वेलफेयर सोसाइटी, 129, सिविल लाइन्स, फतेहपुर
2. आयकर अपर आयुक्त, रेंज-I/II, इलाहाबाद एवं रेंज-III, मीरजापुर।
3. निर्धारण अधिकारी

For AA/O.M Welfare Society  
Secretary/Treasurer

(डी०के० श्रीवास्तव)

आयकर अधिकारी (मुख्यालय)  
कृते आयकर आयुक्त, इलाहाबाद